

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 500 /जयपुर/1997-98

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिग्गी श्रीवास्तवा समिति
लखनऊ के पास, चौक पुलिस, अम्बाबाड़ी जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 23 माह 12 सन् एक हजार नौ सौ 1997
को जयपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएँ